भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2256

उत्तर देने की तारीख: 23.03.2022

विद्यालय विकास निधि

2256 # चौधरी सुखराम सिंह यादव:

श्रीमती छाया वर्मा:

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद:

श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्रीय विद्यालय (केवी) के पहली से बारहवीं कक्षा के बच्चों के अभिभावकों से विद्यालय विकास निधि सहित अन्य शीर्ष में कितनी धनराशि ली गई है ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान विभिन्न मदों के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के अभिभावकों से ली गई धनराशि से कौन से कार्य संपन्न कराए गए हैं; और

(ग) क्या मंत्रालय कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान विभिन्न मदों के अंतर्गत ली गई धनराशि को निजी क्षेत्र में कार्यरत या बेरोजगार हुए छात्रों के अभिभावकों को वापस करने पर विचार करेगा?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) द्वारा छात्रों से बहुत मामूली दर पर विद्यालय विकास निधि (वीवीएन), कंप्यूटर निधि और ट्यूशन फीस ली जा रही है। सरकारी कर्मचारियों के बच्चों (केंद्रीय विद्यालय संगठन के कार्मिकों सहित) को विभिन्न प्रकार की फीस में छूट नहीं दी जाएगी क्योंकि उन्हें अपने विभागों से बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति मिल रही है। ये निधियां/शुल्क, केविसं की फीस संरचना का हिस्सा है और इसका उपयोग, छात्र कल्याण गतिविधियों के साथ-साथ विद्यालय के रखरखाव, शैक्षणिक संव्यवहार के लिए किया जाता है और ये स्कूल में विकासात्मक

गतिविधियों के लिए अनिवार्य हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान, स्कूल की गतिविधियों के साथ-साथ शैक्षणिक संव्यवहार, ऑनलाइन मोड में जारी रहे। सरकार के पास छात्रों के उन अभिभावकों को, जो कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान निजी क्षेत्र में कार्यरत थे या बेरोजगार थे, विभिन्न मदों के तहत प्रभारित की गई राशि वापस करने का ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****